भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1601

उत्तर देने की तारीख 12 दिसम्बर, 2023

21 अग्रहायण, 1945 (शक)

खेल के क्षेत्र में जनजातीय लोगों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

1601. प्रो. अच्युतानंद सामंतः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले जनजातीय लोगों के लिए कोई छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जनजातीयों को ऐसी और छात्रवृत्तियां प्रदान करने का है ताकि खेल के क्षेत्र में समावेशन और विकास हो सके;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा के जनजातीय लोगों को कोई प्रशिक्षण सुविधाएं, आधुनिक खेल उपकरण और अवसंरचना प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ओडिशा के कंधमाल जैसे विभिन्न खेल- केन्द्रित जिलों में उत्कृष्टता केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के 'ग्रामीण/देशज और जनजातीय खेलों का संवर्धन' घटक के अंतर्गत प्रतिभावान एथलीटों को प्रति माह 10,000/-रु. के ऑउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) के रूप में खेल छात्रवृत्ति की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, खेलो इंडिया स्कीम के इस घटक के अंतर्गत 2752 एथलीटों को सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत, ओपीए के रूप में टीओपीएस एथलीटों के कोर समूह एथलीटों के लिए 50,000/- रु. प्रति माह और विकास समूह एथलीटों के लिए भी 25,000/- रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान में, कोर समूह में

119 एथलीटों और विकास समूह में 166 एथलीटों को टीओपीएस के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, उल्लेखनीय है कि खेल संवर्धन स्कीमों के तहत पहचाने गए अधिकांश खिलाड़ी देश की ग्रामीण, पिछड़ी और जनजातीय आबादी से हैं। इसके अलावा, प्रतिभा की पहचान सामाजिक/आर्थिक स्थिति के स्थान पर योग्यता और क्षमता के आधार पर की जाती है।

(ग) चयनित एथलीटों को अनुमोदित स्कीम मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ कोचों, खेल उपकरण, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा / बीमा और वजीफा के रूप में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम (ओडिशा के जनजातीय लोगों सहित) के तहत पहचानी गई प्रतिभा को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रति वर्ष 6.28 लाख रु. (छात्रवृत्ति/ओपीए के रूप में 1.20 लाख रु. सहित) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, ओडिशा राज्य के 70 एथलीटों को खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(घ) और (ड.): वर्तमान में, एक (01) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), तीन (03) साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), दो (02) विस्तार केंद्र, एक (01) नियमित स्कूल और एक (01) अखाड़ा ओडिशा राज्य में कार्यरत हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ओडिशा राज्य में छह (06) खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी), एक (01) खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) और आठ (08) खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियां (केआईएए) अधिसूचित की गई हैं। तथापि, ओडिशा राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****